राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

कमांक 7(185)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांकः 02|02|2016

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19 जनवरी 2016 को शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. ग्रामीण विकास की योजनाऐं

1 झालावाड में महात्मा गांधी नरेगा, एनआरएलएम के साथ कन्वर्जेन्स के संबंध में केटेगरी IV की स्वीकृतियॉ जारी की गई जो सराहनीय प्रयास है। सभी जिलो द्वारा इसकी पालना की जाए इस हेतु पत्र जारी किया जाना है।

2 भीलवाडा में मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायतों का नाम गलत है सही किया जाए।

3 एसएजीवाई/एमएजीपीवाई योजना में महात्मा गांधी नरेगा के तहत केटेगरी IV काम करवाये जाए इस हेतु राशि 50 करोड रू. सामग्री मद में दिया गया है उसकी शतप्रतिशत स्वीकृति जारी की जाए।

4 जिला प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत जिला भ्रमण रिपोर्ट के आधार पर जिलों द्वारा अनुपालना रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे।

5 जिले की योजनावार प्रगति समीक्षा कर आ.शासकीय पत्र से मुख्यालय को विडियो कान्फ्रेन्स से पूर्व मुख्यालय को भेजे।

6 विकास अधिकारी की रिव्यू बैठक का नोट सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जारी करे।

7 इन्दिरा आवास/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए।

8 जिला जयपुर, प्रतापगढ, बीकानरे, बूँदी डूँगरपुर, उदयपुर, नागौर, अलवर, स0माधोपुर, चित्तोडगढ, राजसमंद एवं भीलवाडा की प्रगति राज्य औसत से कम रही है। सबसे कम प्रगति जालौर जिले की है।

9 मा0 विधायक द्वारा प्रेषित अनुशंषाओं की कियान्विति हेतु मुख्यालय से एडवाईजरी जारी की जावे।

10 सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों को जिला परिषद के कार्यो में Deployed करने की कार्यवाही की जावे।

2. सामाजिक अंकेक्षण

1 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण अभियान (माह अप्रैल–मई 2015) में राशि रू. 11.58 लाख की वसूली में से शेष राशि रू.

9.66 लाख की वसूली होना शेष है विशेष रूप से नागौर, करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर, बीकानेर, बूंदी एवं उदयपुर में बकाया है, जिसकी तत्काल वसूली कर अवगत करावे।

2 पूर्व वर्षों के सामाजिक अंकेक्षण की वसूली भी शीघ्र की जावे। विशेष रुप से भीलवाडा, डूंगरपुर, अजमेर, टोंक एवं राजसमन्द में सर्वाधिक प्रकरण राशि बकाया है जिसे प्राथमिकता देते हुए वसूली करके रिपोर्ट भेजी जावे। भीलवाडा में ग्राम पंचायत तस्वारिया में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त की गई कार्यवाही की प्रगति से अवगत करावे।

3 वर्ष 2015–16 (प्रथम छःमाही) में 8901 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी किया गया है, उनमें 740 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त नही हुई है (अलवर, भीलवाडा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, झालावाड, नागौर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर), अविलम्ब भेजें। 494 ग्राम पंचायतों का कलैण्डर जारी नही किया गया है (अलवर, बाडमेर, भीलवाडा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड, झुंझुंनू, जोधपुर, सीकर एवं श्रीगंगानगर) उनका कलैण्डर जारी करे। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा माह नवम्बर, 2015 तक आयोजित की जाकर सूचना शीघ्र भिजवायें :–

- ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन एवं प्रशिक्षण की सूचना जिन जिलों से अभी तक नहीं भेजी गई है, शीघ्र भिजवायें।
- वर्ष 2014–15 (द्वितीय छःमाही) सारांश की सूचना बांसवाडा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, कोटा, पाली, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, बाडमेर एवं उदयपुर ने अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भिजवायें।
- वर्ष 2015–16 में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के सांराश की भी सूचना शीघ्र भिजवाये।
- **वर्ष 2013–14 में सामाजिक अंकेक्षण व्यय की सूचना** जिला बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर, जालौर, झालावाड, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर से प्राप्त नही हुई है, जिसे शीघ्र भिजवाये।
- **वर्ष 2014–15 में सामाजिक अंकेक्षण व्यय की सूचना** जिला बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जालौर, झालावाड, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर से प्राप्त नही हुई है, जिसे शीघ्र भिजवाये।
- वर्ष 2014–15 (प्रथम चरण, द्वितीय चरण) वर्ष 2015–16 (प्रथम चरण) की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स पृथक–पृथक के अपलोड करने की संख्या निर्धारित प्रारूप में शीघ्र भिजवाये।
- इन्दिरा आवास योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2015–16 (प्रथम छःमाही) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ करके निर्धारित प्रपत्रों में रिपोर्ट भिजवाई जावे।
- आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना रिपोर्ट जिन जिलों ने अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भिजवायें।
- समस्त अति0 जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अपने सामाजिक अंकेक्षण नोड्ल अधिकारी एवं जिला संसाधन व्यक्तियों के साथ नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण की मॉनिटरिंग हेतु बैठकें करें एवं समस्त सूचनाओं को समय पर भिजवाया जाना एवं सामाजिक अंकेक्षण राज्य सरकार के निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना करते हुए सम्पन्न हो, यह सुनिश्चित करावें।

3. आवास योजना

1 वर्ष 2015–16 के 101015 आवासों के लक्ष्यों के विरूद्ध 80116 खातें फीज किये गये है, जिनमें से मात्र 63066 एफटीओ सत्यापित किये गये है। सत्यापित खातों की तुलना में अभी भी 15868 एफटीओ सत्यापित किये जाने शेष है, जिनमें बांसवाडा 3837, डूंगरपुर 2766, उदयपुर 1824, प्रतापगढ 1026 एवं चित्तौडगढ 598 एफटीओ सत्यापित किये जाने अभी भी शेष है।

2 वर्ष 2011–12 के स्वीकृत आवासों में से कुल 27823 आवास अपूर्ण है, जिनमें से 12 जिलों में ही 21712 आवास अपूर्ण है। मुख्यतः उदयपुर में 7120, डूंगरपुर में 3713, बांसवाडा में 2217, भीलवाडा में 1515, बांरा 892, बून्दी में 1804, झालावाड में 1846 व राजसमंद में 1000 आवास अभी भी अपूर्ण है।

3 वर्ष 2012–13 के स्वीकृत आवासों में से कुल 73365 आवास अपूर्ण है, जिनमें से 12 जिलों में ही 60819 आवास अपूर्ण है। मुख्यतः उदयपुर में 22052, डूंगरपुर में 12454, बांसवाडा में 8260, भीलवाडा में 3004, बाडमेर में 3277, बांरा 2405, बून्दी में 1466, झालावाड में 1273, राजसमंद में 1708 व प्रतापगढा में 2301 आवास अभी भी अपूर्ण है।

4 वर्ष 2013–14 के स्वीकृत आवासों में से कुल 45339 आवासों की द्वितीय किश्त जारी होना शेष है, जिनमें से 12 जिलों में ही 37062 आवासों को द्वितीय किश्त जारी किया जाना शेष है। मुख्यतः उदयपुर में 14199, डूंगरपुर में 3635, बांसवाडा में 4794, प्रतापगढ में 1996, भीलवाडा में 2121 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त दिया जाना शेष है। इसी प्रकार कुल 129196 आवास अपूर्ण है, जिनमें से 12 जिलों में ही 114001 आवास अपूर्ण है। मुख्यतः उदयपुर में 39332, डूंगरपुर में 21268, बांसवाडा में 19321, प्रतापगढ में 7718, भीलवाडा में 4748 आवास अपूर्ण है।

5 वर्ष 2014–15 के स्वीकृत आवासों में से कुल 43674 आवासों की द्वितीय किश्त जारी होना शेष है, जिनमें से 12 जिलों में ही 39503 आवासों को द्वितीय किश्त जारी किया जाना शेष है। मुख्यतः बांसवाडा में 10182, उदयपुर में 7586, डूगरपुर में 5593, करौली 5008, प्रतापगढ में 3890, भीलवाडा में 1591 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त दिया जाना शेष है।

6 इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 895 करोड रू. में से 721 करोड रू. 12 जिलों में ही उपलब्ध थे, जिनमें से कुल व्यय राशि 368 करोड रू. में 12 जिलों द्वारा 286 करोड रू. व्यय किये गये है। अभी भी मुख्यतः उदयपुर में 129 करोड, डूंगरपुर में 95 करोड, बांसवाडा में 47 करोड, प्रतापगढ में 20 करोड, भीलवाडा में 33 करोड, चित्तौडगढ में 25 करोड रू. की राशि अभी भी उपलब्ध है।

7 अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना (एकल विधवा परिवार) के 7500 लक्ष्यों के विरूद्ध केवल 2274 आवासों का पंजीयन हुआ है, अभी भी 5286 परिवारों का पंजीयन बकाया है। बांसवाडा 823, चित्तौडगढ 446, टोंक 442, बाडमेर 420, झालावाड 386, सिरोही 358, गंगानगर 301 परिवारों का पंजीयन किया जाना शेष है। जिनमें से बांसवाडा, चित्तौडगढ, टोंक, सिरोही, प्रतापगढ, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, करौली एवं नागौर जिलों द्वारा पंजीयन का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है।

8 वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल स्वीकृत आवासों 399569 में से 95012 (23.78 %) आवासों का एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है, जिनमें मुख्यतः धौलपुर में 53.85 %, जैसलमेर 36.11 %, उदयपुर 35.75 %, नागौर 35.36 %, बांसवाडा 30.37 %, करौली 28.41 %, स0माधोपुर 28.37 % एवं डूंगरपुर 27.53% आवासों का निरीक्षण एक बार भी नहीं किया गया है।

9 आवास सहायकों की नियुक्ति के संबंध में इन्दिरा आवास योजना में पुनः आदेश जारी करावें।

4.सांसद आदर्श ग्राम योजना

1. जिला कलक्टर स्तर पर प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जावे।
2. वीडीपी के अनुसार वांछित स्वीकृति जारी करें।

5. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना

1. जिन जिलों में मा0 विधायक द्वारा ग्राम पंचायत का चयन नहीं किया गया है उन्हें चयन करने हेतु पत्र जारी करें।
2. बेस लाईन सर्वे हेतु प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को राशि रू. 50000 दिये गये है। राशि की ओर आवश्यकता होने पर एमएलए लैड की बचत से करने के निर्देश दिये गये।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेन्स में चर्चा योग्य बिन्दुओं का समीक्षा नोट वीसी से पूर्व मुख्यालय को प्रेषित करें तथा वीसी होने के पश्चात अनुपालना रिपोर्ट आगामी वीसी के 7 दिवस पूर्व (Email-pdme2k_rdd@yahoo.com) भिजवाना सुनिश्चित करें।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, निदेशक, मिड़–डे–मील, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
9. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
10. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी–सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।
12. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/(श्री योजना)।
13. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.)